

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/ X-3-00781/ 2024 / 184

दिनांक:- 15/04/2024

--: आदेश :-

निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों के द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवा निवृत्ति तिथि को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	एलियम्मा के. थोमस महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	25.05.1964	01.11.1988	31.05.2024
2	कनकतारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	05.05.1964	15.11.1989	31.05.2024
3	यशोदा बैरवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	03.04.1964	29.12.1986	30.04.2024
4	उर्मिला शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	शाहपुरा	21.07.1964	29.09.1992	31.07.2024
5	चन्द्रकान्ता कुमावत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	ब्यावर	17.05.1965	10.06.1999	31.05.2025
6	पार्वती बाई महिला स्वास्थ्य दर्शिका	केकडी	01.06.1964	01.01.1987	31.05.2024
7	प्रेमलता शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	01.07.1964	10.07.1989	30.06.2024
8	सुलेखा चौहान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	ब्यावर	04.04.1965	30.10.1996	30.04.2025
9	इन्द्रा एम.बी. महिला स्वास्थ्य दर्शिक	ब्यावर	28.05.1965	28.12.1987	31.05.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 15/04/2024

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/ X-3-00781/ 2024 / 184

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा/टोंक/केकडी/अजमेर/ब्यावर।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- प्रभारी डी0पी0सी0/राज हेल्थ अनुभाग, मुख्यालय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
6594747



निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर
Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.12 22:44:18 IST
Reason: Approved